रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. Date GOVT.

सं० 58] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 1997/माघ 22, 1918
No. 58] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 1997/MAGHA 22, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1997

सा. का. नि. 70 (अ).—यत: महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों की अदायगी)(संशोधन) नियमावली 1996 का प्रारूप भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 467(अ) दिनांक 10 अक्तूबर, 1996 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था जैसा कि महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाए जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने तक, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिन पर उसका प्रभाव पड़ने की संभावना है।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 16-10-1996 को जनता को उपलब्ध करवा दी गई थी,

और जबकि उक्त अवधि समाप्त होने से पहले कोई आपत्तियां अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों की अदायगी) नियमावली 1981 में निम्नलिखित संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय)(संशोधन) नियम, 1997 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1981 के नियम 3 नियम में,

   (क) खंड (i) में "एक सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "दो सौ पचास रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

   (ख) खंड (ii) में "साठ रुपये" शब्दों को "दो सौ पचास रुपये" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा,

   (ग) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु किसी मास के दौरान आयोजित बोर्ड और/या समिति के अधिवेशन की बाबत किसी न्यासी को संदेय फीस की कुल रकम किसी भी दशा में एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगी"।

[फा.सं. पी.आर.-11019/3/95-पी.जी.]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

नोट :—मूल नियम सा. का. नि. 134 (अ) दिनांक 28-1-82 में प्रकाशित हुए और सा. का. नि. 797 (अ) दिनांक 18-7-88 तथा सा. का. नि. 635(अ) दिनांक 15-10-1991 के तहत इनमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 1997

G. S. R. 70 (E).—Whereas a draft of the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowance to Trustees) (Amendment) Rules, 1996 was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trust Act, 1963 vide Notification No. G.S.R. 467(E), dated 10th October, 1996 in the Gazette of India Part II Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of forty-five days from the date on which copies of the gazette were made available to the public.

And whereas the copies of the said gazette were made available to general public on the 16th October, 1996 ;

And whereas no objection/suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Major Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1997.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1981—

   (a) in clause (i), for the words "rupees hundred" the words "rupees two hundred and fifty" shall by substituted;

   (b) in clause (ii), for the words "rupees sixty" the words "rupees hundred" shall be substituted;

   (c) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the aggregate amount of fees payable to any Trustee in respect of the meetings of the Board and/or the Committees held during any calendar month shall not exceed rupees one thousand".

[File No. PR-11019/3/95-PG]

K. V. RAO, Jt. Secy.

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India as GSR 134 (E), dated 28th January, 1982 and amended vide GSR 797 (E), dated 18-7-1988 and GSR 635 (E), dt. 15-10-1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997